

प्रेस नोट थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर दिनांक 20-09-2021

एक प्लास्टिक की जरिकैन मे 10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व लगभग 500 ग्राम यूरिया, व लगभग 250 ग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने का उपकरण के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध व अपराधियों के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20.09.2021 को थानाध्यक्ष उरुवा बाजार प्रविन्द कुमार राय द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर लालजी तिवारी का भट्टा बहद ग्राम भवानीगढ़ से अभियुक्त शैलेश उरांव उर्फ बुद्धिसागर पुत्र भुदेशर उरांव निवासी मेदले थाना किस्को जिला लोहरदगा (झारखण्ड) के कब्जे से नाजायज एक प्लास्टिक की जरिकैन मे 10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व लगभग 500 ग्राम यूरिया, व लगभग 250 ग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने का उपकरण (दो अदद एल्यूमिनियम का तशला, 02 अदद टिन - 01 अदद शीशा बोलत मय पाईप) बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/2021 अन्तर्गत धारा 60(क) व 60(2) अबकारी अधि0 व धारा 272 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

शैलेश उरांव उर्फ बुद्धिसागर पुत्र भुदेशर उरांव निवासी मेदले थाना किस्को जिला लोहरदंगा (झारखण्ड)

पंजीकृत अभियोग-

मुअ0स0-120/2021 धारा 60(क) व 60(2) अबकारी अधि0 व धारा 272 भा0द0वि0 थाना उरुवा बाजार गोरखपुर

गिरफ्तारी स्थान -

लालजी तिवारी का भट्टा बहद ग्राम भवानीगढ़ थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक प्लास्टिक की जरिकैन मे 10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व लगभग 500 ग्राम यूरिया, व लगभग 250 ग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने का उपकरण (दो अदद एल्यूमिनियम का तशला, 02 अदद टिन - 01 अदद शीशा बोलत मय पाईप)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. एसओ श्री प्रविन्द कुमार राय थाना उरुवा बाजार गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री संतोष कुमार तिवारी थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
3. का0 सत्यम् सिंह यादव थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
4. का0 आदितेश यादव थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर